भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1047

05 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष संस्थाओं में रिक्तियां

1047. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयुष चिकित्सकों/चिकित्सकों और शिक्षण संकाय के कई पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रिक्त ऐसे पदों का स्ट्रीम-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इन रिक्तियों के कब तक भरे जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने स्नातकोत्तर (पीजी) सीटें बढ़ाने तथा संकाय भर्ती के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केरल के आयुष संस्थाओं में श्रमशक्ति की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, रिक्त पदों के विरूद्ध आयुष डॉक्टरों/चिकित्सकों और शिक्षण संकाय के पद को भरने के साथ-साथ स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों में वृद्धि की प्राथमिक जिम्मेदारी केरल सहित संबंधित राज्य सरकार की है। इसलिए, मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जा रही है। हालांकि, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) भारतीय चिकित्सा पद्धति (आईएसएम) और होम्योपैथी में शिक्षा और अभ्यास की देखरेख करने वाले वैधानिक नियामक अधिकारियों के रूप में काम करते हैं, जैसा कि क्रमशः एनसीआईएसएम अधिनियम 2020 और एनसीएच अधिनियम 2020 द्वारा अधिदेशित है। इन अधिनियमों के तहत, आईएसएम और होम्योपैथी में स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों को बढ़ाने या नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने वाले संस्थान संबंधित प्राधिकरणों नामत: भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड (एमएआरबीआईएसएम) अथवा होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड (एमएआरबीएच) को एक योजना या आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
